[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

संख्या 50/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि वियतनाम और यूरोपीय संघ (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "नायलॉन फिलामेंट यार्न (मल्टी फिलामेंट)" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 5402 के अंतर्गत आता है, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 14/33/2016-डीजीएडी, दिनांक 6 अगस्त, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, के मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि;

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत में इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर आयात किया गया है जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई है;

(ii) विषयगत देश से प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है ;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है और भारत में आयातित है, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन शीर्ष/उप शीर्ष/टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, जो कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों के द्वारा उत्पादित हैं, और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट इकाई में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्रम. सं.	उप शीर्ष	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन वाला देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1	5402	नायलॉन बहु फिलामेंट यार्न*	वियतनाम	वियतनाम	फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एफआई सी)	1. लिआंग हॉक प्रौद्योगिकी कं, लिमि. (एलआईएचए)। 2. बोस्का एंटरप्राइजेज लिमिटेड (बीओएससीए), हाँग काँग	384.02	एमटी	यूएस$
2	5402	नायलॉन बहु फिलामेंट यार्न*	वियतनाम	वियतनाम	ह्योसंग दांग नाई कं लिमिटेड	ह्योसंग दांग नाई कं लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएस$
3	5402	नायलॉन बहु फिलामेंट यार्न*	वियतनाम	वियतनाम	ह्योसंग दांग नाई कं लिमिटेड	1. ह्योसंग इंटरनेशनल (एचके) लिमि., हाँग काँग 2. रेन टांग इंडस्ट्रियल लिमि., हाँग काँग	शून्य	एमटी	यूएस$
4	5402	नायलॉन बहु फिलामेंट यार्न*	वियतनाम	कोई देश	कोई	कोई	719.44	एमटी	यूएस$
5	5402	नायलॉन बहु फिलामेंट यार्न*	विषय देशों के अलावा कोई भी देश	वियतनाम	कोई	कोई	719.44	एमटी	यूएस$
7	5402	नायलॉन बहु फिलामेंट यार्न*	यूरोपीय संघ	कोई देश	कोई	कोई	128.06	एमटी	यूएस$
8	5402	नायलॉन बहु फिलामेंट यार्न*	विषय देशों के अलावा कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई	कोई	128.06	एमटी	यूएस$

* नायलॉन या पॉलिमाइड्स के सिंथेटिक मल्टीफिलामेंट यार्न जैसे फ्लैट यार्न-ट्विस्ट और/या अनविस्ट, क्रिपेड यार्न, पूरी तरह से तैयार यार्न (एफडीवाई), स्पिन खींचा यार्न (एसडीवाई), पूरी तरह उन्मुख यार्न (एफओवाई), उच्च उन्मुख यार्न (एफओवाई), आंशिक रूप से ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई), बनावट यार्न-ट्विस्ट और/या अनस्टिव्ड, और डाइड यार्न, सिंगल, डबल, एकाधिक, फोल्ड या कैबल, रिवाज 54 के भीतर सीमा शुल्क उपशीर्षक संख्या 5402 के तहत वर्गीकृत। उत्पाद में नायलॉन फिलामेंट यार्न के सभी प्रकार शामिल हैं या पॉलीमाइड यार्न जैसे फ्लैट/टक्सचर्ड/ट्विस्टेड/ब्राइट/अर्ध-निष्प्रभ/पूर्ण निष्प्रभ(या इसके रूप), भूरे/रंगीन/रंगे (या इसके रूप), सिंगल, डबल, एकाधिक, फोल्ड या कैबल (या इसके रूप), आकार या नहीं, लेकिन नायलॉन के उच्च दृढ़ता यार्न को छोड़कर, विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है, सभी मानव निर्मित फिलामेंट यार्न में नायलॉन या पॉलीमाइड्स और मोनो फिलामेंट यार्न, नायलॉन की उच्च स्थिरता यार्न, बीसीएफ (थोक निरंतर फिलामेंट) यार्न नहीं है, जो एक क्रिम्प्ड नायलॉन फिलामेंट यार्न है जो उच्च है लगभग 4 सेंटी न्यूटन डिकैटेक्स और उच्च डीनाइरेज (लगभग .. 650 से 1650 डेसिटेक्स) की दृढ़ता और आमतौर पर कालीन बनाने में उपयोग किया जाता है ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 6 अक्तूबर, 2018 से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या

इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा । यह अधिसूचना से प्रवृत्त होगी ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(फाइल संख्या 354/326/2018-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार